राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 114/2021

सुमेरसिंह आदि   **ब–ना–म**   हणमानसिंह आदि

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री हेमराज सिंह – प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से
2. श्री राजेश गुप्ता – अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से

:: निर्णय ::   **दिनांक :– 08–09–2022**

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस आशय का पेश किया गया कि उक्त आराजियात का विरासतन का नामांतरकरण सोनसिंह नाऔलाद फौत होने पर रा0का0अधि0 1955 की धारा 40 के अनुसार प्रार्थी के नाम स्वीकृत हुआ तथा प्रार्थी ने धारा 34 के अनुसार 10रू. जुर्माना जमा करवाया। इस प्रकार अप्रार्थीगण/वादीगण का दावा बाढ़–बाई लॉ होने के कारण खारिज काबिल है। नामांतरकरण सं. 12 दिनांक 13.04.1965 जो प्रार्थी के नाम स्वीकृत हुआ था उसका अप्रार्थीगणों के पुर्वजों ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया अर्थात् उन्होंने उक्त नामांतरकरण को सही स्वीकृत होना स्वीकार किया। इसलिए अप्रार्थीगण/वादीगण एस्टोपल के सिद्धान्त से बाधित हैं। इसलिए उक्त वाद खारिज काबिल है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वाद पत्र को मय हर्ज खर्चा खारिज फरमाया जाने के आदेश न्यायहित में फरमावें।

अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया कि सोहन सिंह नाऔलाद फौत होने पर उसका विरासतन इंतकाल उसके भाईयों के नाम दर्ज होना चाहिए था। सोहन सिंह मूलसिंह का भाई भी नहीं था। धारा–40 के अनुसार अभिधारी का उत्तराधिकारी होना चाहिए। [illegible] मूलसिंह [illegible] का उत्तराधिकारी था? इसका निर्धारण वाद साक्ष्य दावे में तय होना है [illegible] प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी [illegible] को छोड़कर किसी को भी जानकारी नहीं थी कि दावे में दर्ज भूमि सोहन सिंह के [illegible] उपरान्त मूलसिंह के नाम आ गयी। जानकारी होने पर वादीगण ने दावा पेश किया है। इसलिए प्रार्थीगण [illegible]ह

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by: Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कहना कि अप्रार्थीगण एस्टोपल के सिद्धान्त से बाधित है असत्य है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के एक भी तथ्य अंकित नहीं किये है। पत्रावली तलबी में नियत है। जब तक सम्पूर्ण तलबी नहीं हो जाती है तब तक आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपना शपथ पत्र पेश नहीं किया है बिना शपथ पत्र के प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अधूरा है। कानूनी रूप से प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र को होना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

मैंने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात का विरासतन का नामांतरकरण सोनसिंह नाऔलाद फौत होने पर रा0का0अधि0 1955 की धारा 40 के अनुसार प्रार्थी के नाम स्वीकृत हुआ। नामांतरकरण सं. 12 दिनांक 13.04.1965 जो प्रार्थी के नाम स्वीकृत हुआ था उसका अप्रार्थीगणों के पुर्वजों ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया अर्थात् उन्होंने उक्त नामांतरकरण को सही स्वीकृत होना स्वीकार किया। इस प्रकार अप्रार्थीगण/वादीगण का दावा बाढ–बाई लॉ होने के कारण खारिज योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण का कथन है कि सोहन सिंह मूलसिंह का भाई भी नहीं था। धारा–40 के अनुसार अभिधारी का उत्तराधिकारी होना चाहिए। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के एक भी तथ्य अंकित नहीं किये है। पत्रावली तलबी में नियत है। जब तक सम्पूर्ण तलबी नहीं हो जाती है तब तक आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

मैंने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि गत् खसरा नंबर 398, 399 जो सोहन सिंह पुत्र भूर सिंह की खातेदारी में थी। सोहन सिंह नाऔलाद फौत होने पर जरिये विरासतन नामांतरकण संख्या 52 सोहनसिंह के स्थान पर मूलसिंह (वारिश) का नाम वादग्रस्त भूमि में दर्ज रिकार्ड हुआ जो निरन्तर उक्त मूलसिंह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही है। भूमि गत 398, 399 से हाल खसरा नंबर 544 रकबा 1.88 है. निर्मित हुए हैं जो पत्रावली उपलब्ध खसरा मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–2077 खसरा नंबर 544 रकबा 1.88 है. प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 हणमानसिंह पुत्र मूलसिंह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त स्व. सोहन सिंह पुत्र भूर सिंह जो नाऔलाद फौत हो गया उसके विधिक वारिश बताकर उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत दावा घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि स्व. सोहनसिंह का वादग्रस्त भूमि बाबत विरासतन नामांतरकरण दिनांक 13.04.1965 को तस्दीक हुआ तो उस समय अप्रार्थीगण/वादीगण व उनके विधिक वारिशान द्वारा उक्त विरासतन नामांतरकरण सं. 52 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो इस बाबत पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विधि के प्रावधानानुसार उक्त विरासतन नामांत... न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए. लेकिन अप्रार्थीगण/वादीगण या उन... ...धिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अब इतना अधिक ... होने के पश्चात् अप्रार्थीगण/वादीगण ने दावा बाबत ... दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है जो विधि द्वारा वर्जित है। अप्रार्थीगण/वादीगण ... उक्त विरासतन नामांतरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 52 के विरूद्ध के नियमानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही, अपील करनी चाहिए था। इस प्रकार उक्त अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद, वाद हेतुक (Casue of Action) प्रकट नहीं करता है तथा विधि द्वारा वर्जित है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी. सी. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner